न्यायालय उपखण्ड अधिकारी शाहाबाद, जिला बारां राजस्थान

दायरा दिनांक 24.01.2023

दावा संख्या 04/23

पीठासीन अधिकारी – श्री मुकेश चन्द्र मीना (आर.ए.एस.)

रामकिशन पुत्र लक्ष्मण जाति काछी निवासी खिरिया तहसील शाहाबाद जिला बारां राज0
वादी

बनाम

1–अधिशाषी अभियंता, सार्वजनिक निर्माण विभाग शाहाबाद जिला बारां
2–स्टेट आफ राजस्थान जरिये तहसीलदार शाहाबाद जिला बारां
3–गणेश उर्फ भदई पुत्र गोरधन जाति काछी निवासी खिरिया तहसील शाहाबाद जिला बारां राज0
प्रतिवादीगण

वादपत्र वास्ते स्थाई निषेधाज्ञा अंतर्गत धारा 188 आर0टी0एक्ट

निर्णय दिनांक– 15.07.2025

उपस्थित –
वादी की ओर से – श्री कुबेर यादव एडवोकेट
प्रतिवादीगण की ओर से – एकपक्षीय

संक्षेप में वाद के तथ्य इस प्रकार हैं कि ग्राम चन्दनहेडा पटवार हल्का बालदा तहसील शाहाबाद में खाता संख्या नया 28 पुराना 28 के ख0नं0 188 की 1.07 बीघा कृषि भूमि वादी प्रतिवादीक्रम 3 हटिया पत्नि गजनलाल की सहखातेदारी में दर्ज है। वर्तमान राजस्व रिकार्ड जमाबंदी सम्वत 2073–76 में वादी का हिस्सा 1/3, प्रतिवादीक्रम 3 का हिस्सा 1/3, हटिया का हिस्सा 1/3 दर्ज रिकार्ड है। खातेदार हटिया फोत हो चुकी है जो वादी के भाई की पत्नि व प्रतिवादीक्रम 3 की ताई थी, जिसके कोई सन्तान प्रथम श्रेणी वारिस नहीं होने से वादी व प्रतिवादीक्रम 3 ही वारिस व उत्तराधिकारी होकर स्वतः ही 1/2–1/2 हिस्से से खातेदार हो चुके हैं। उक्त वर्णित भूमि पारिबारिक बटबारे में वादी के हिस्से में आई है वादी वहेसियत खातेदार काबिज चला आ रहा है। वादी के अलावा प्रतिवादीक्रम 1 या अन्य का कोई अधिकार उक्त भूमि में नहीं है। सहखातेदार प्रतिवादीक्रम 3 ने साथ आकर कार्यवाही से इनकार कर दिया, इस कारण उसे प्रतिवादी बनाया गया है। प्रतिवादीक्रम 1 चन्दनहेडा से पीपलखेडी होकर जाने बाली सिंगल सडक को चौडा कर रहे हैं और बिना विधिक प्रकिया अपनाये, बिना भूमि को अवाप्त किये अतिचार कर पक्की सडक बना रहे हैं, जबकि उक्त भूमि वादी के जीविकोपार्जन का साधन है। दिनांक 26.12.2022 को प्रतिवादी ने खुद को सरकार का अंग बताकर सडक निर्माण की धमकी दी है। इस कारण वादी विरुद्ध प्रतिवादी स्थायी निषेधाज्ञा प्राप्त करने का हकदार है।

Signature Not Verified
Digitally signed by Mukesh Chandra Meena
Date: 2025.09.18 13:01:05 IST
Reason: SelfAttested

वाद दर्ज रजिस्टर कर प्रतिवादीगण को तलब किया गया। प्रतिवादीगण वावजूद सूचना के अनुपस्थित रहे, जिनके विरुद्ध एकपक्षीय कार्यवाही अमल में लाई गई। वादी अधिवक्ता की एकपक्षीय वहस सुनी गई। पत्रावली का अवलोकन किया गया। वादीगण द्वारा प्रस्तुत नकल जमाबंदी ग्राम चन्दनहेडा संवत 2073–76 में विवादित भूमि ख0नं0 188 रकबा 1.07 बीघा वादी, प्रतिवादीक्रम 3 तथा हटिया पत्नि स्व. गजनलाल के नाम दर्ज है, जिस

15/07/2025
उपखण्ड अधिकारी

पर खातेदारान का कब्जा काश्त है, जिसमें बिना विधिक प्रकिया अपनाये प्रतिवादीकम 1 को सडक निर्माण करने का कोई हक अथवा अधिकार नहीं है।

अतः वादी का वाद अन्तर्गत धारा 188 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम न्यायहित में स्वीकार किया जाकर प्रतिवादी कम 1 को स्थाई निषेधाज्ञा से पाबन्द किया जाता है कि वे बिना विधिक प्रक्रिया अपनाये विवादित आराजी ख0नं0 188 रकबा 1.07 बीघा ग्राम चन्दनहेडा तहसील शाहाबाद में कोई सडक निर्माण नहीं करें। निर्णय मेरे द्वारा लिंखाया जाकर आज दिनांक 15.07.2025 को सरे इजलास सुनाया गया। तदानुसार डिकी जारी हो। प्रकरण फैसल शुमार होकर पत्रावली दाखिल दफ्तर हो।

15/07/2025

उपखण्ड अधिकारी
शाहाबाद

Signature Not Verified

Digitally signed by Mukesh Chandra Meena
Date: 2025.09.18 13:01:05 IST
Reason: SelfAttested